भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *41

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

देश में कोयले का उत्पादन

***41. श्री रवि किशन:**

श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले के वर्तमान वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से देश में कोयले के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में आंतरिक कोयला उत्पादन में वृद्धि करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'देश में कोयले का उत्पादन' के संबंध में श्री रवि किशन तथा श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा दिनांक 06.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *41 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : वित्तीय वर्ष 2023-2024 (नवंबर, 2023 तक) में, अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 591.398 मिलियन टन (अनंतिम) है।

(ख) : वर्ष 2014 के बाद से देश में कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	**कोयला उत्पादन**
2013-14	565.765
2014-15	609.179
2015-16	639.230
2016-17	657.868
2017-18	675.400
2018-19	728.718
2019-20	730.874
2020-21	716.083
2021-22	778.210
2022-23 (अनंतिम)	893.190

(ग) और (घ) : जी, हां। सरकार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. राजस्व शेयरिंग कार्यतंत्र पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 18.06.2020 को शुरू की गई थी। वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं।

(1) सीआईएल ने सभी आवश्यक संसाधनों जैसे पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/साइलो के जरिए मशीनीकृत लोडिंग जैसी निकासी अवसंरचनाओं, रेल परियोजनाओं आदि को पूरा करने हेतु पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि परियोजनाएं 1 बि.ट. उत्पादन योजना के अनुसार अपने लक्ष्य में योगदान देने में सक्षम हो सकें।

(2) एससीसीएल ने 67 मि.ट. के वर्तमान स्तर से वर्ष 2023-24 तक 70 मि.ट. उत्पादन करने की योजना बनाई है। नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

*****